

(क). निविदा के साथ बिना राष्ट्रीयकृत बैंक से कार्पोरेट स्टांप आर आर 50 वि. सी. के पक्ष में रुपये 2000/- (दो हजार) का डिपोजिट के रूप में सिलग्न करवा होगा। डिपॉजिट ड्राई तथा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बिना दस्तावेज एवं पक्ष के निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा का डिपॉजिट के बिना अस्वीकृत कर दी जाएगी। दस्तावेज में किसी तरह का सुधार बिना प्रमाणीकरण के स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ग) सफल अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह कोई तथा सभी निविदा स्वीकार व अस्वीकार कर सकता है।

(घ). सामान निविदा दाताओं द्वारा जमा किए गए का डिपॉजिट को इस प्राधान्य में देखा जाएगा तथा